डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73] रायपुर, मंगलवार , दिनांक 1 मई 2001—वैशाख 11, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 7 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल विधेयक, 2001

विषय-सूची

अध्याय-1

खण्ड : **प्राथमिक खंड**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.

अध्याय-2

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल की स्थापना एवं गठन

3. मंडल की स्थापना.
4. मंडल का गठन.
5. सदस्यता से अयोग्यता.
6. निर्वाचित एवं नामांकित सदस्यों की पदावधि.
7. निर्वाचित अथवा नामांकित सदस्यों द्वारा त्यागपत्र.

8. परिषद् का सदस्य बने रहने के लिए निर्योग्यताएं.
9. आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति.
10. मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष.
11. कार्य-संचालन नियमों के अनुसार होगा.

अध्याय-3

मंडल की शक्तियां एवं कर्तव्य

12. मंडल की शक्तियां एवं कर्तव्य.

अध्याय-4

मेडिकल डिप्लोमा स्कूल एवं मान्यता

13. भेषज एवं शल्य चिकित्सा डिप्लोमा शिक्षा के न्यूनतम मापदंड.
14. नए मेडिकल डिप्लोमा स्कूल, पढ़ाई के नए विषय प्रारंभ करने की अनुमति आदि.
15. कतिपय दशाओं में योग्यता को मान्यता नहीं होना.
16. जानकारी प्राप्त करने की शक्ति.
17. मेडिकल डिप्लोमा स्कूलों का निरीक्षण.
18. मान्यता की वापसी.

अध्याय-5

सचिव एवं अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

19. मंडल के सचिव एवं अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण.
20. सचिव के कर्तव्य.

अध्याय-6

मंडल का कोष

21. मंडल का कोष.
22. उद्देश्य जिनके लिए मंडल के कोष का उपयोग किया जा सकता है.
23. लेखा एवं अंकेक्षण
24. बजट

अध्याय-7

रजिस्ट्रीकरण एवं राज्य रजिस्टर

25. रजिस्ट्रीकरण एवं राज्य रजिस्टर.
26. किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि राज्य रजिस्टर में करने को रोकने अथवा किसी व्यक्ति का नाम राज्य रजिस्टर से हटाने का आदेश देने की मंडल की शक्ति.
27. राज्य रजिस्टर में संशोधन.
28. जांच में प्रक्रिया.
29. मंडल के आदेश के विरुद्ध अपील.
30. अधिनियम में उपबंधित के सिवाय व्यवसाय पर प्रतिबंध.

अध्याय-8

नियम एवं विनियम

31. नियम बनाने की शक्ति.
32. विनियम बनाने की शक्ति.

अध्याय-9

विविध

33. प्रमाण-पत्र के बेईमान उपयोग पर शास्ति.
34. अपराध का संज्ञान.
35. मंडल द्वारा दी जाने वाली जानकारी.
36. अनुसूची में संशोधन की शक्ति.
37. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण.

अनुसूची

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 7 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल विधेयक, 2001

भेषज एवं शल्य चिकित्सा डिप्लोमा की शिक्षा, तथा भेषज एवं शल्य चिकित्सा व्यवसाइयों के व्यवसाय को विनियमित करने हेतु राज्य में एक चिकित्सा मंडल की स्थापना करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-1

प्राथमिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए है.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, और अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तारीखें नियत की जा सकती है.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
(क) 'मंडल' से अभिप्रेत है धारा 3 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल.
(ख) 'राज्य रजिस्टर' से अभिप्रेत ऐसे रजिस्टर से है, जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत रखा गया हो एवं 'रजिस्ट्रीकृत' तथा 'रजिस्ट्रीकरण' की व्याख्या भी तद्नुसार की जाएगी.
(ग) 'चिकित्सा' से अभिप्रेत है, आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा उसकी सभी शाखाओं सहित एवं इसमें शल्य चिकित्सा एवं प्रसूति विज्ञान शामिल है, परंतु पशु चिकित्सा एवं पशु शल्य चिकित्सा शामिल नहीं है.
(घ) 'मान्यता प्राप्त योग्यता' से अभिप्रेत है, अनुसूची में निर्दिष्ट की हुई कोई भी योग्यता.
(ङ) 'रजिस्ट्रीकृत व्यवसाई' से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति से जो इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हों.
(च) 'विनियम' से अभिप्रेत है, धारा 32 के अंतर्गत बनाए गए विनियम.
(छ) 'भेषज एवं शल्य चिकित्सा डिप्लोमा व्यवसाई' से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है, जिसे मंडल द्वारा भेषज एवं शल्य चिकित्सा डिप्लोमा दिया गया हो और जो चिकित्सा व्यवसाय करता हो.

अध्याय-2

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल की स्थापना एवं गठन

मंडल की स्थापना.

3. (1) राज्य सरकार, यथाशीघ्र, अधिसूचना द्वारा उसमें निर्दिष्ट तारीख से छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल की स्थापना करेगी.

(2) यह मंडल 'छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल' के नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका नित्य उत्तराधिकार एवं सामान्य मोहर होगी, एवं यह चल एवं अचल संपत्ति प्राप्त एवं धारित कर सकेगा, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए धारित संपत्ति को स्थानांतरित कर सकेगा, संविदा कर सकेगा, और स्वयं को बनाए रखने के लिए अन्य सभी आवश्यक कार्य कर सकेगा, और अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगा, और उस पर वाद चलाया जा सकेगा.

4. (1) मंडल के निम्नलिखित सदस्य होंगे :— मंडल का गठन.

(i) राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत सदस्यों द्वारा उन्हीं में से निर्वाचित पांच सदस्य :

परन्तु इस अधिनियम के प्रभावशील होने के बाद मंडल के प्रथम बार गठन की स्थिति में इस वर्ग के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित किए जा सकेंगे, और इस प्रकार नाम-निर्देशित व्यक्तियों का राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों में से होना अनिवार्य नहीं होगा.

(ii) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित पांच सदस्य निम्नानुसार होंगे :—

(क) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ राज्य शाखा का एक प्रतिनिधि, जो राज्य शाखा द्वारा प्रस्तावित पांच व्यक्तियों के पेनल में से नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा.

(ख) राज्य के विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकायों में से एक सदस्य.

(ग) दो सदस्य छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा के वर्ग-क के सदस्यों में से जिनमें से एक महिला चिकित्सक होगी.

(घ) राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक अधिष्ठाता.

(iii) संचालक चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़.

(iv) संचालक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी छत्तीसगढ़.

(2) प्रत्येक निर्वाचित एवं नाम-निर्देशित सदस्य का नाम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, और सदस्य प्रकाशन की तारीख से अपने पद पर नियुक्त होंगे, और पदावधि के प्रयोजन के लिए उसी तिथि से अपने पद पर नियुक्त किए गए तथा प्रवेश किये माने जायेंगे.

5. कोई व्यक्ति मंडल का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अथवा नाम-निर्देशित होने के लिए अयोग्य होगा यदि- सदस्य के लिए अयोग्यता.

(क) वह भारत का नागरिक न हो, या

(ख) यह दीवालिया हो गया हो, या

(ग) वह पागल हो, और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, या

(घ) वह किसी अनैतिकता के अपराध के लिए दंडित किया गया हो, या

(ङ) वह मंडल का वेतन अथवा मानदेय प्राप्त करने वाला कर्मचारी हो, या

(च) उसका नाम राज्य पंजिका से हटा दिया गया हो.

6. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय सभी निर्वाचित एवं नाम-निर्देशित सदस्य ऐसी तारीख से जब से वह धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे : मंडल के निर्वाचित तथा नामांकित सदस्यों की पदावधि.

परन्तु धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) एक के परंतुक के अन्तर्गत नाम-निर्देशित सदस्य ऐसी तारीख तक पद धारण करेंगे, जब तक निर्वाचित सदस्य पद ग्रहण नहीं कर लेते, तथा ऐसे निर्वाचित सदस्य धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अंतर्गत नाम-निर्देशित सदस्यों की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेंगे.

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत पदावधि का अवसान होने के पश्चात् भी पद छोड़ने वाला सदस्य तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य का यथास्थिति निर्वाचन, या नामांकन न हो जाए.

निर्वाचित या नामांकित सदस्य द्वारा त्याग-पत्र.

7. मंडल के निर्वाचित या नाम-निर्देशित सदस्य किसी भी समय विनियमों द्वारा विहित रीति से त्याग-पत्र देकर पद त्याग सकते हैं.

मंडल सदस्य बने रहने के लिए निर्योग्यताएं.

8. (1) यदि मंडल के पदेन सदस्यों के सिवाय कोई अन्य सदस्य-

(क) मंडल के अनुमति के बिना मंडल की तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है, या

(ख) लगातार बारह महीने से अधिक समय तक भारत के बाहर अनुपस्थित हो, या

(ग) धारा 5 में वर्णित कोई अयोग्यता हो जाने पर, या

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी न रह जाए, तो

मंडल ऐसे सदस्य के पद को रिक्त घोषित कर सकता है,

परंतु इस धारा के अंतर्गत कोई घोषणा संबंधित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं की जाएगी.

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत घोषणा से पीड़ित कोई सदस्य ऐसी घोषणा के तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकता है, और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा.

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति.

9. यदि किसी निर्वाचित या नाम-निर्देशित सदस्य की मृत्यु हो जाए, या वह त्याग-पत्र दे दे, या किसी अन्य कारण से वह सदस्य न रह जाए तो ऐसी रिक्ति यथाशीघ्र यथास्थिति निर्वाचन या नामनिर्देशन से भरी जाएगी, और इस प्रकार निर्वाचित या नाम-निर्देशित व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती सदस्य की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा.

मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष.

10. (1) संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ मंडल के पदेन अध्यक्ष होंगे.

(2) राज्य सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का अधिष्ठाता मंडल का उपाध्यक्ष होगा.

(3) इस आधे नियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियां का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विहित की जाएं.

कार्य-संचालन नियमों के अनुसार होगा.

11. मंडल का कार्य-संचालन नियमों द्वारा विहित रीति से होगा.

अध्याय-3

मंडल की शक्तियां एवं कर्तव्य

मंडल की शक्तियां एवं कृत्य.

12. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्य करेगा जो कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों.

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मंडल की शक्तियों एवं कृत्यों में निम्नलिखित विशेष रूप से शामिल होंगे :—

(क) भेषज एवं शल्य चिकित्सा डिप्लोमा व्यवसाइयों के राज्य रजिस्टर का संधारण करना ;

(ख) विनियमों द्वारा विहित की गई रीति से सचिव के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना एवं उनका निर्णय करना ;

(ग) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के व्यावसायिक आचरण को विनियमित करने के लिए विनियमों द्वारा एक आचरण संहिता बनाना ;

(घ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को प्रताड़ित करना, उसका नाम राज्य रजिस्टर से निलंबित करना अथवा हटाना, या उसके विरुद्ध ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही करना जैसी कि मंडल की राय में आवश्यक या उपयुक्त हो ;

(ङ) किसी सदस्य को मंडल की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति देना ;

(च) नवाचार, शोध एवं विकास को बढ़ावा देना, तथा भेषज एवं शल्य चिकित्सा डिप्लोमा की शिक्षा की उन्नति की योजना बनाना ;

(छ) भेषज एवं शल्य चिकित्सा डिप्लोमा की पढ़ाई, पाठ्यक्रम, पढ़ाई की सुविधाओं, प्रशिक्षण, परीक्षण, एवं परीक्षाओं के लिए मापदंड, निर्धारित करना ;

(ज) भेषज एवं शल्य चिकित्सा डिप्लोमा के लिए अध्यापन शुल्क लेने के मापदंड, और दिशा-निर्देश तय करना ;

(झ) किसी मेडिकल डिप्लोमा स्कूल को मान्यता देने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना ;

(ञ) मेडिकल डिप्लोमा स्कूलो में विद्यार्थियों की भर्ती के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करना ;

(त) मेडिकल डिप्लोमा स्कूलों का निरीक्षण करना अथवा निरीक्षण करवाना ;

(थ) भेषज एवं शल्य चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षाएं लेना, और डिप्लोमा प्रदान करना :

(द) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचन करवाना तथा ;

(ध) ऐसे अन्य कृत्य करना जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं.

अध्याय-4
मेडिकल डिप्लोमा स्कूल एवं मान्यता

मेडिकल डिप्लोमा शिक्षा के न्यूनतम मापदंड.

13. मंडल छत्तीसगढ़ के मेडिकल डिप्लोमा स्कूलों द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक मेडिकल डिप्लोमा शिक्षा के न्यूनतम मापदंड विहित कर सकता है.

नये मेडिकल डिप्लोमा स्कूल, पढ़ाई के नये विषय प्रारंभ करने की अनुमति आदि.

14. (1) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई भी बात होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार की अनुमति के बिना-

(क) कोई व्यक्ति कोई मेडिकल डिप्लोमा स्कूल स्थापित नहीं करेगा, या

(ख) कोई मेडिकल डिप्लोमा स्कूल-

(i) कोई उच्च पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं करेगा जिससे किसी विद्यार्थी को मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त हो सके, या

(ii) किसी भी पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में भर्ती की संख्या नहीं बढ़ाएगा.

स्पष्टीकरण 1 :—इस धारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति में विश्वविद्यालय एवं ट्रस्ट शामिल हैं, परंतु राज्य सरकार शामिल नहीं है.

स्पष्टीकरण 2 :—इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'भर्ती की संख्या' से अभिप्रेत है, किसी मेडिकल डिप्लोमा स्कूल में किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के संबंध में मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, जो उस पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में भर्ती की जा सके.

(2) (क) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अथवा मेडिकल डिप्लोमा स्कूल खंड (ख) के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार को एक योजना प्रस्तुत करेगा, और राज्य सरकार उस योजना को मंडल की अनुशंसा के लिए उसे संदर्भित कर देगी.

(ख) खंड (क) में संदर्भित योजना ऐसे प्रारूप में होगी, ऐसे विवरण के साथ होगी, उस प्रकार से प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे शुल्क के साथ प्रस्तुत की जाएगी जो विहित की जाए.

(3) योजना प्राप्त होने पर मंडल संबंधित व्यक्ति या मेडिकल डिप्लोमा स्कूल से ऐसा अन्य विवरण प्राप्त कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे एवं उसके पश्चात्-

(क) यदि योजना में कोई कमी है और उसमें आवश्यक विवरण नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति अथवा मेडिकल डिप्लोमा स्कूल को लिखित अभ्यावेदन देने का समुचित अवसर प्रदान करेगा और वह व्यक्ति या मेडिकल डिप्लोमा स्कूल मंडल द्वारा बताई गई कमियां दूर कर सकेगा.

(ख) योजना पर उपधारा (5) के उपबंधों पर ध्यान रखते हुए विचार करके उस पर अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा.

(4) राज्य सरकार योजना एवं उपधारा (3) के अधीन मंडल की अनुशंसाओं पर विचार करने एवं जहां आवश्यक हो संबंधित व्यक्ति या मेडिकल डिप्लोमा स्कूल से अन्य आवश्यक विवरण प्राप्त करने के पश्चात्, एवं उपधारा (5) के उपबंधों पर ध्यान देते हुए या तो योजना का अनुमोदन (ऐसी शर्तों के साथ जैसी कि आवश्यक समझी जाएं) करेगी, अथवा अनुमोदन करने से इंकार कर देगी, और ऐसा अनुमोदन उपधारा (1) के अधीन अनुमति माना जाएगा.

(5) उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन अपनी अनुशंसा करने के समय मंडल, एवं उपधारा (4) के अधीन योजना का अनुमोदन करने अथवा अनुमोदन का इंकार करने का आदेश पारित करने के समय राज्य सरकार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात्-

(क) क्या प्रस्तावित मेडिकल डिप्लोमा स्कूल अथवा नवीन या उच्च पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना चाहने वाला मेडिकल डिप्लोमा स्कूल मंडल द्वारा विहित किए गए मेडिकल डिप्लोमा शिक्षा के न्यूनतम मापदंड पूरे कर सकेगा.

(ख) क्या प्रस्तावित मेडिकल डिप्लोमा स्कूल अथवा नवीन या उच्च पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना चाहने वाले या भर्ती संख्या में वृद्धि चाहने वाले मेडिकल डिप्लोमा स्कूल के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं.

(ग) क्या स्टाफ, उपकरण, स्थान, प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाओं के रूप में मेडिकल डिप्लोमा स्कूल के संचालन, नवीन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के संचालन, या बढ़ी हुई भर्ती संख्या के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं, अथवा योजना में दी गई समयावधि में प्रदाय कर दी जायेंगी.

(घ) क्या मेडिकल डिप्लोमा स्कूल में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, या भर्ती संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त चिकित्सालय सुविधा प्रदान कर दी गई है, अथवा योजना में निर्धारित समय अवधि में कर दी जाएगी.

(ङ) क्या मंडल द्वारा विहित किए गए व्यक्तियों से ऐसे मेडिकल डिप्लोमा स्कूल या पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों के उचित प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था की गई है या कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है.

(च) मेडिकल डिप्लोमा व्यवसाय में लोगों की आवश्यकता.

(छ) अन्य बिंदु जो विहित किए जाएं

(6) राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अंतर्गत योजना का अनुमोदन करने अथवा न करने का आदेश पारित करने पर, आदेश को प्रतिलिपि संबंधित व्यक्ति अथवा मेडिकल डिप्लोमा स्कूल को संसूचित की जाएगी.

15. (1) यदि कोई मेडिकल डिप्लोमा स्कूल धारा 14 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना स्थापित किया जाता है, तो ऐसे मेडिकल डिप्लोमा स्कूल के विद्यार्थियों को प्रदाय की जाने वाली कोई भी योग्यता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं होगी. कतिपय दशाओं में योग्यता को मान्यता नहीं होना.

(2) यदि कोई मेडिकल डिप्लोमा स्कूल नवीन अथवा उच्च पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण बिना धारा 14 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार की पूर्वानुमति से प्रारंभ करता है, तो ऐसे मेडिकल डिप्लोमा स्कूल के किसी विद्यार्थी को ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के आधार पर प्रदान की गई कोई योग्यता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं होगी.

(3) यदि कोई मेडिकल डिप्लोमा स्कूल किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में अपनी भर्ती की संख्या बिना धारा 14 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बढ़ाता है तो, ऐसे मेडिकल डिप्लोमा स्कूल के किसी विद्यार्थी को ऐसी बढ़ाई गई भर्ती संख्या के आधार पर प्रदान की गई योग्यता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं होगी.

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विद्यार्थी की पहचान के आधार जिसे बढ़ी हुए भर्ती संख्या के आधार पर योग्यता प्रदान की गई है वे होंगे जो विहित किए जाएं.

16. प्रत्येक व्यक्ति या मेडिकल डिप्लोमा स्कूल जो मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान करता है मंडल को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा जो मंडल द्वारा समय-समय पर चाही जाए. जानकारी प्राप्त करने की शक्ति.

17. मंडल आवश्यक होने पर सभी मेडिकल डिप्लोमा स्कूलों का निरीक्षण कराएगा. मेडिकल डिप्लोमा स्कूलों का निरीक्षण.

18. (1) जब निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा मंडल को प्रतीत होता है कि- मान्यता की वापसी.

(क) किसी मेडिकल डिप्लोमा स्कूल में पाठ्यक्रम अथवा परीक्षाएं,

(ख) किसी मेडिकल डिप्लोमा स्कूल में स्टाफ, उपकरण, स्थान और पढ़ाई तथा प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं, मंडल द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं हैं, तो मंडल राज्य सरकार को इस प्रकार का एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है.

(2) इस अभ्यावेदन पर विचार करने के उपरांत राज्य सरकार अभ्यावेदन में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में मेडिकल डिप्लोमा स्कूल का स्पष्टीकरण राज्य सरकार जो समय सीमा उचित समझे उस समय सीमा में मांग सकती है.

(3) स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात्, अथवा निर्धारित की गई समय सीमा में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार ऐसी और जांच करके जैसी कि वह उचित समझे, राजपत्र में अधिसूचना प्रका[illegible] यह निर्देश दे सकेगी कि अनुसूची में उस योग्यता के समक्ष अंकित किया जाए कि यह योग्यता यदि विनिर्दिष्ट मेडिकल डिप्लोमा स्कूल के विद्यार्थियों को प्रदान की गई हो तो विनिर्दिष्ट तिथि के पश्चात् प्रदान की जाने पर मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं होगी.

अध्याय-5

सचिव एवं अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

मंडल के सचिव एवं अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण.

19. (1) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से मंडल एक सचिव नियुक्त करेगा.

(2) मंडल ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जैसे कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए आवश्यक समझे.

(3) सचिव, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की योग्यताएं, सेवा शर्तें, तथा वेतनमान ऐसे होंगे जैसे कि मंडल विनियमों द्वारा निश्चित करे.

(4) सचिव, अथवा इस धारा के अंतर्गत मंडल द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी या कर्मचारी भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 की क्रमांक 45) की धारा 21 के अंतर्गत लोक सवेक माना जाएगा.

सचिव के कर्त्तव्य.

20. (1) सचिव का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस अधिनिमय के प्रावधानों के अनुसार, एवं मंडल द्वारा बनाए गए आदेश के अनुसार राज्य रजिस्टर रखे, तथा उसमें विनियमों द्वारा विहित रीति से समय-समय पर संशोधन करे, उसे राजपत्र में प्रकाशित करे, और ऐसे समस्त कृत्य संपादित करे जो उसके द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अधीन किए जाना आवश्यक हों.

(2) सचिव यह देखेगा कि राज्य रजिस्टर यथासंभव सदैव सही हो, और रजिस्टर्ड व्यवसाइयों की योग्यताओं और पते में परिवर्तन दर्ज कर सकेगा.

(3) सचिव ऐसे रजिस्टर्ड व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर से हटा सकेगा जिसकी मृत्यु हो गई हो, या जिसका नाम राज्य रजिस्टर से हटाने के निर्देश दिए गए हों, या जो भेषज एवं शल्य चिकित्सा डिप्लोमा व्यवसायी न रह गया हो.

(4) व्यवसायी से सूचना प्राप्त होने पर यदि मंडल इस बात से संतुष्ट हो कि व्यवसायी ने व्यवसाय बंद नहीं किया है, तो मंडल सचिव को व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर में पुन: अंकित करने के निर्देश दे सकेगा, और सचिव इस निर्देश का पालन करेगा.

अध्याय-6

मंडल का कोष

मंडल का कोष.

21. (1) मंडल एक कोष स्थापित करेगा, जिसे मंडल का कोष कहा जाएगा.

(2) निम्नलिखित मंडल के कोष में जमा किए जायेंगी, अथवा उसका अंग होंगे :—

(क) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान,
(ख) सभी स्त्रोतों से मंडल की आय जिसमें शुल्क और जुर्माने से प्राप्त आय शामिल है,
(ग) न्यास, दान, किसी के द्वारा प्रदान की जाने वाली संपत्ति एवं अन्य अनुदान, यदि कोई हों,
(घ) मंडल द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशियां.

22. मंडल का कोष निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है, अर्थात् :— प्रयोजन जिनके लिए मंडल के कोष का उपयोग किया जा सकता है.

(क) इस अधिनियम, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए मंडल द्वारा लिए गये ऋणों के भुगतान हेतु,
(ख) किसी वाद अथवा कानूनी कार्यवाही के खर्च के भुगतान के लिए जिसमें मंडल पक्षकार हो,
(ग) मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु,
(घ) मंडल के पदाधिकारियों के भत्तों के भुगतान हेतु,
(ङ) मंडल द्वारा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के क्रियान्वयन के लिए किए गए खर्चों के भुगतान हेतु,
(च) मेडिकल डिप्लोमा शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण की उन्नति एवं विकास के लिए ऐसे खर्च जिन्हें मंडल ने मेडिकल डिप्लोमा व्यवसाय के सामान्य हित का घोषित किया गया हो.

23. (1) मंडल का लेखा ऐसी तिथि के पूर्व, ऐसे अंतराल से, तथा ऐसी रीति से बनाया जाएगा, जैसे कि विहित किया जाए. लेखा एवं अंकेक्षण.

(2) मंडल के लेखे का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाएगा. चार्टर्ड आकउंटेंट का अंकेक्षण शुल्क मंडल द्वारा समय-समय पर विनियमों के तहत नियत किया जाएगा.

(3) मंडल के लेखे का अंकेक्षण होते ही मंडल उसकी एक प्रति संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के उस पर प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को विहित रीति से भेजेगा.

24. (1) सचिव विहित प्रारूप में अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों एवं खर्चों को दिखाते हुए, एक बजट बनवाएगा, और उसे ऐसी रीति से और ऐसे समय पर मंडल के समक्ष रखवाएगा जैसा कि विहित किया जाए. बजट

(2) बजट पारित करने वाली बैठक के 15 दिवस के भीतर इसे राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा.

(3) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि इस प्रकार अग्रेषित किए गए बजट के प्रावधान इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वह मंडल को बजट ऐसे संशोधनों के लिए लौटा देगी जैसे कि राज्य सरकार सुझाव दे.

(4) मंडल इस शीर्ष से दूसरे शीर्ष में तथा शीर्षो के भीतर जैसा आवश्यक हो राशि का पुनर्विनियोजन करने के लिए सक्षम होगा.

(5) जब आवश्यक हो मंडल ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी तिथि तक जैसे कि विहित किया जाए, एक पूरक बजट पारित करेगा और उपधारा (2), (3) तथा (4) के प्रावधान ऐसे पूरक बजट पर लागू होंगे.

अध्याय-7
रजिस्ट्रीकरण एवं राज्य रजिस्टर

25. (1) मंडल विहित रीति से मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाले मेडिकल डिप्लोमा व्यवसायियों का एक रजिस्टर संधारित करवाएगा, जिसे राज्य रजिस्टर कहा जाएगा. रजिस्ट्रीकरण एवं राज्य रजिस्टर.

(2) राज्य रजिस्टर को इस अधिनियम के प्रावधानों और मंडल द्वारा बनाए गए आदेशों के अनुरूप रखना, और समय-समय पर उसमें संशोधन करना, और राजपत्र में विहित रीति से प्रकाशित करना सचिव का कर्त्तव्य होगा.

(3) राज्य रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन लोक दस्तावेज मानी जाएगी, और इसे राजपत्र में प्रकाशित प्रति से सिद्ध किया जा सकेगा.

(4) मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति सचिव को ऐसी योग्यता का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एवं विहित शुल्क का भुगतान करने पर राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण का पात्र होगा.

किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि राज्य रजिस्टर में करने को रोकने अथवा किसी व्यक्ति का नाम राज्य रजिस्टर से हटाने का आदेश देने की मंडल की शक्ति.

26. सचिव के संदर्भित करने पर या अन्यथा मंडल किसी ऐसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि राज्य रजिस्टर में करने को रोक सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम राज्य रजिस्टर से हटाने का आदेश दे सकता है-

(क) जिसे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास से दंडित किया गया हो जो मंडल की राय में उसके आचरण में ऐसी त्रुटि दर्शाता है जिससे राज्य रजिस्टर में उसके नाम का रजिस्ट्रीकरण बना रहना अवांछनीय हो गया हो, या

(ख) जिसे मंडल ने समुचित जांच के पश्चात् बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से व्यवसाय संबंधी गर्हित आचरण का दोषी पाया हो.

परंतु इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जाएगा.

राज्य रजिस्टर में संशोधन.

27. (1) संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने तथा उसकी आपत्तियों की जांच करने के पश्चात् मंडल गलत तरीके से अथवा कपटपूर्वक राज्य रजिस्टर में की गई प्रविष्टि को निरस्त करने या संशोधित करने का आदेश दे सकेगा.

(2) धारा 26 के अंतर्गत जिन कारणों से मंडल द्वारा रजिस्ट्रीकरण को रोका जा सकता है उन्हीं कारणों से मंडल किसी रजिस्ट्रीकृत मेडिकल डिप्लोमा व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर से सदैव के लिए या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए हटाने का निर्देश दे सकेगा.

जांच की प्रक्रिया.

28. इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जांच के प्रयोजन से मंडल अथवा मंडल द्वारा नियुक्त कोई समिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 की सं. 1) एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 की सं. 5) के अर्थ के अंतर्गत न्यायालय माने जायेंगे, और लोक सेवक (जांच) अधिनियम 1850 (1850 का संख्यांक 37) के अधीन नियुक्त आयुक्त की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे, और यथासंभव ऐसी जांच की जाएगी जो लोक सेवक (जांच) अधिनियम 1850 (1850 का संख्यांक 37) की धारा 5 और 8 से 20 के उपबंधों के अनुसार हो.

मंडल के आदेश के विरुद्ध अपील.

29. कोई व्यक्ति-

(1) जिसका राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण का आवेदन निरस्त कर दिया गया हो, या
(2) धारा 26 के अंतर्गत जिसके नाम की प्रविष्टि राज्य रजिस्टर में करने पर रोक लगाई गई हो, या
(3) जिसका नाम राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया हो,

यथास्थिति निरस्त करने, रोक लगाने, या हटाने के आदेश के 90 दिवस के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है, तथा राज्य सरकार का विनिश्चय हो तो वह अंतिम होगा.

30. (1) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत न हो, न तो मेडिकल डिप्लोमा व्यवसायी के रूप में राज्य के भीतर व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यवसाय करेगा, और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में स्वयं को अभ्यास्त: व्यवसाय करता हुआ प्रदर्शित करेगा. अधिनियम में उपबंधित के सिवाय व्यवसाय पर प्रतिबंध.

(2) जो व्यक्ति उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसे 6 माह तक कारावास या 5000 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा.

अध्याय-8

नियम एवं विनियम

31. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है. नियम बनाने की शक्ति.

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

32. (1) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से एवं धारा 31 के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए सामान्य रूप से इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए मंडल विनियम बना सकता है, और उपरोक्त शक्ति की व्यापकता को प्रभावित किए बिना यह विनियम निम्नलिखित के लिए हो सकते हैं :— विनियम बनाने की शक्ति.

(क) मंडल की संपत्ति का प्रबंधन और उसके लेखे का संधारण और अंकेक्षण,

(ख) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाइयों में से पांच सदस्यों का निर्वाचन.

(ग) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य,

(घ) समितियों को नियुक्त करने, उनकी बैठक बुलाने, बैठक करने एवं कार्य संचालन की विधि,

(ङ) मंडल के सदस्यों को यात्रा एवं अन्य भत्ते,

(च) सचिव के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने और उस पर निर्णय करने की रीति,

(छ) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाइयों के व्यवसायिक आचरण को विनियमित करने के लिए आचरण संहिता बनाना.

(ज) मंडल के सचिव, अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की योग्यताएं, सेवा शर्तें एवं वेतन,

(झ) राज्य रजिस्टर का प्रारूप,

(ञ) राज्य रजिस्टर में संशोधन की रीति,

(त) राज्य के मेडिकल डिप्लोमा स्कूलों में भर्ती का तरीका,

(थ) भेषज एवं शल्य चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में परीक्षाएं लेने का तरीका,

(द) अन्य कोई विषय जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमों द्वारा प्रावधान किया जा सकता है,

(2) राज्य सरकार स्वीकृति के लिए विनियम प्राप्त होने पर जैसे संशोधन वह उचित समझे, वैसे संशोधनों के साथ उन्हें स्वीकृत कर सकती है, अथवा मंडल को उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस कर सकती है.

(3) सभी विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे.

(4) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी विनियम को संशोधित या निरसित कर सकती हैं.

अध्याय-9
विविध

प्रमाणपत्र के बेईमान उपयोग पर शास्ति.

33. कोई व्यक्ति जो—

(क) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र का बेईमानी से उपयोग करता है, या

(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत झूठी या कपटपूर्ण घोषणा, प्रमाणपत्र या अभ्यावेदन चाहे वह लिखित हो या मौखिक, के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाता है या करवाने का प्रयास करता है, या

(ग) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाणपत्र के संबंध में जानबूझकर झूठा अभ्यावेदन करता है या करवाता है,

दोष सिद्ध होने पर कारावास जो एक वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकेगा.

अपराध का संज्ञान.

34. (1) इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय इस संबंध में सचिव या मंडल द्वारा जारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी की लिखित शिकायत के सिवाय नहीं लेगा.

(2) प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा.

मंडल द्वारा दी जाने वाली जानकारी.

35. मंडल राज्य सरकार को ऐसे प्रतिवेदन, कार्यवाही विवरण की प्रतियां, लेखों का सार एवं अन्य जानकारी जो राज्य सरकार प्राप्त करना चाहे, देगा.

अनुसूची में संशोधन की शक्ति.

36. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकती है.

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण.

37. किसी भी समय यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि मंडल इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियां का प्रयोग करने में विफल रहा है या उसने इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है या उसने इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया है एवं यदि राज्य सरकार ऐसी विफलता, अतिक्रमण या दुरुपयोग को गंभीर प्रकृति का मानती है तो, वह उसका विवरण मंडल को ऐसी विफलता, अतिक्रमण या दुरुपयोग को सुधारने के लिए संसूचित कर सकती है और यदि मंडल सूचना में उल्लिखित समयावधि में ऐसी विफलता, अतिक्रमण या दुरुपयोग को सुधारने में विफल रहता है तो, राज्य सरकार मंडल को भंग कर सकती है और मंडल की समस्त या कोई भी शक्तियां प्रयोग करने एवं कर्त्तव्य पालन करने कार्य ऐसे किसी व्यक्ति को दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि तक के लिए सौंप सकती है जैसी कि वह उचित समझे और एक नए मंडल को अस्तित्व में लाने के लिए समस्त कदम उठाएगी.

अनुसूची

[धारा 2 (घ) देखें]

भेषज एवं शल्य चिकित्सा डिप्लोमा

उद्देश्यों तथा कारणों का कथन

1. छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की अत्यधिक आवश्यकता है. राज्य में अर्हता प्राप्त चिकित्सकों की बहुत कमी है. इसके परिणामस्वरूप दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को उचित चिकित्सकीय देखभाल नहीं मिल पाती है. परिणामस्वरूप अनेक बिना अर्हता प्राप्त व्यक्तियों ने दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा का व्यवसाय शुरू कर दिया है. एम.बी.बी.एस. डिग्री प्राप्त चिकित्सक दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर काम नहीं करना चाहते हैं. इसलिए भेषज और शल्य चिकित्सा का एक ऐसा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की महती आवश्यकता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चिकित्सक मिल सकें. यह केवल भेषज और शल्य चिकित्सा में डिप्लोमा का तीन वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ करके ही किया जा सकता है. इसलिए यह आवश्यक समझा गया है कि भेषज और शल्य चिकित्सा डिप्लोमा की शिक्षा और भेषज और शल्य चिकित्सा व्यवसायियों के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए एक चिकित्सा मंडल की स्थापना की जाए और इस प्रयोजन के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है.

2. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर:
दिनांक : 4 अप्रैल, 2001

कृष्ण कुमार गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल विधेयक, 2001 के खण्ड 31 एवं 32 के अधीन राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम एवं विनियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.